(छायाः पंजाब केसरी)

करने का निर्णय लिया गया। यही नहीं, यह निर्णय लिया गया कि यदि कोई व्यक्ति उक्त फैसलों का उलंघन करेगा तो पांचों गांवों के लोग उसके यहां आना-जाना बंद कर देंगे।

वार की मौत

दुर्घटना स्थल पर पुलिस नहीं पहुंची। मौके पर मौजूद लोगों ने उसको 108 की सहायता से जमवारामगढ़ सीएचसी पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने उसको मृत घोषित कर दिया। शुक्रवार सुबह शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया।

मिल पा रहा है जिसके कारण उनमें निराशा का माहौल है। काबिले गौर है कि सांभर सॉल्ट एक सरकारी उपक्रम है जो हिन्दुस्तान सॉल्ट की एक सहायक कंपनी है। इस सांभर सॉल्ट में कुछ वर्षों पूर्व जहां हजारों की संख्या में लोगों को रोजगार मिलता था, अब इसी सांभर सॉल्ट में गिनती के कर्मचारी रह गए हैं। जबकि अधिकारी अभी तक भी वही जमे हुए हैं। लेकिन इस मामले में कोई खुलकर नहीं बोल रहा है।

इनका कहना है:

इस संबंध में आप पीएंडए कार्यालय में पाथी हैं, आप उनसे बात करें। मैं अभी थोड़ा बाहर हूं।

-सुरेन्द्रपाल बंसल,
प्रबंध निदेशक
हिन्दुस्तान सॉल्ट
लिमिटेड।

रोक लगाने की मांग

पालिकों को वाहन की क्षमता के अनुसार ही खनन सामग्री भरने के लिए पाबंद करने को लेकर नोटिस जारी करने की बात कही। इस मौके पर परिवहन निरीक्षक मंजीत सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे।एँ

चार दिन में 185 ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई: परिवहन विभाग मुख्यालय के निर्देश पर ओवरलोड व अवैध वाहनों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत चार दिनों में 185 वाहनों के विरूद्ध कार्रवाई की गई। जिला परिवहन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि ओवरलोड व अवैध वाहनों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जांच अभियान चलाया जा रहा है। चार दिनों में 185 वाहनों के विरूद्ध कार्रवाई कर 43.29 लाख रूपए का जुर्माना वसूल किया गया। उक्त कार्रवाई में 131 वाहन ओवरलोड मिले, जिनसे 38.45 लाख का जुर्माना वसूला गया। डीटीओ ने बताया कि अभियान की अवधि बढ़ा दी गई है। ऐसे में क्षेत्र के नीमकाथाना मार्ग सहित विभिन्न सड़कों पर जांच अभियान लगातार जारी रहेगा।

ग्रामीणों ने जताया आक्रोश

ओवरलोड़ वाहन को रोककर आक्रोश जताते ग्रामीन। (छायाः पंजाब केसरी)

पावटा, (श्रीकान्त मिश्रा): टसकोला ग्राम के मध्य से रोज बड़ी तादाद में गुजरने वाले ओवरलोड़ वाहनों से आए दिन होने वाले हादसों से परेशान ग्रामीणों ने शुक्रवार को सरपंच मुकेश कुमार सैनी के नेतृत्व ओवरलोड़ वाहनों को रोक कर आक्रोश जताया।

ग्रामीणों ने बताया कि शुक्रवार को ओवरलोड़ वाहनों से उलझ कर उच्च शक्ति का बिजली की लाइन का एक तार टूट कर नीचे गिर गया। गनीमत से यह तार टूट कर जहां गिरा उससे चन्द कदम पर बच्चे खेल रहे थे। यह तार इन बच्चों पर गिर जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। ग्रामीणों का कहना है कि इन वाहनों से रोज कोई न कोई घटनाएं होती रहती हैं, जिससे पूरा ग्राम त्रस्त है। इन वाहनों को यातायात पुलिस कोटपूतली को सौंपने के बाद ग्रामीण शान्त हुए।

बंधक अचल सम्पत्ति का विवरण

फ्लेट नं. एस-2, द्वितीय मंजिल, प्लॉट नं. 2, सनराईज सिटी, ग्राम-निवारू, तहसील-जयपुर, जिला-जयपुर में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 700 वर्गफीट है। चतुः सीमा- उत्तर- प्लॉट नं. 3, दक्षिण- प्लॉट नं. 1, पूर्व- प्लॉट नं. 11, पश्चिम- रोड़ 100 फीट।

स्थानः जयपुर, दिनांक 05.03.2018

प्राधिकृत अधिकारी,
सेन्ट बैंक होम फायनेंस लिमिटेड

फार्म नं. INC-26

[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम-30 के अनुसरण में]

कंपनी का पंजीकृत कार्यालय राजस्थान राज्य से कर्नाटक राज्य में परिवर्तन के लिए विज्ञापन

केन्द्रीय सरकार के समक्ष उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, कारपोरेट मामलात मंत्रालय

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014

के नियम 30 (5) (क) के मामले में और

दिलीप एसोशियलस प्राईवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालयः 618, महावीर नगर, टोंक रोड जयपुर-302018 राजस्थान के मामले में याचिकाकर्ता

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13के तहत कंपनी द्वारा शनिवार, 03 फरवरी, 2018 को सुबह 11:00 बजे, 618, महावीर नगर, टोंक रोड जयपुर-302018 राजस्थान आयोजित असाधारण आम सभा में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को राजस्थान राज्य से कर्नाटक राज्य में स्थानान्तरण करने के लिए कंपनी के पार्षद सीमानियमों में परिवर्तन करने हेतु प्रस्ताव पारित किया गया है जिसके अंतर्गत कंपनी केन्द्र सरकार को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखती है।

किसी भी व्यक्ति का हित अगर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रस्तावित परिवर्तन के कारण प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाईल कर एमसीए-21 पोर्टल www.mca.gov.in में शिकायत दर्ज कर सकता है या अपने हित और आपत्तियों के आधार की प्रकृति बताते हुए पंजीकृत डाक से एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित उसके या उसकी आपत्तियों को क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, आरओसी भवन, रूपल पार्क सोसायटी के सामने, अंकुर बस स्टॉप के पीछे, नारणपुरा, अहमदाबाद-380013 पर भेज सकते है। इन आपत्तियों को नीचे लिखे उल्लेखित पते पर आवेदक कंपनी को एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर भेज सकते है।

618, महावीर नगर, टोंक रोड, जयपुर-302018 राजस्थान

ई-मेलः ashok@dileep.in

वास्ते- दिलीप एसोशियलस प्राईवेट लिमिटेड

दिनांकः 9 मार्च, 2018
स्थानः जयपुर

अशोक कुमार गुप्ता
निदेशक

श्रेणी-II प्रपत्र ए

सार्वजनिक घोषणा

भारतीय दिवालियापन एवं दिवाला बोर्ड (संस्थागत व्यक्तियों हेतु दिवालियापन समाधान प्रक्रिया) अधिनियम 2016 के अधिनियम 6 अधीन

अनिल स्पेशल स्टील इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

संबद्ध विवरण

1.	संस्थागत देनदार का नाम	अनिल स्पेशल स्टील इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
2.	संस्थागत देनदार के निगमीकरण की तिथि	04/05/1968
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन संस्थागत देनदार निगमित/पंजीकृत है	कंपनी रजिस्ट्रार, कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन
4.	संस्थागत पहचान संख्या/संस्थागत देनदार सामिति दायित्व पहचान सं.	सीआईएनः L27107RJ1968PLC001245
5.	संस्थागत देनदार के पंजीकृत कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय (यदि कोई है) का पता	पी.ओ. मीणावाला, कनकपुरा, जयपुर, राजस्थान-302012
6.	संस्थागत देनदार के संबंध में दिवालियापन की आरंभ तिथि	7 मार्च, 2018 (C.P. No. (IB)- 35 (ND)/ 2018)
7.	दिवालियापन समाधान प्रक्रिया के समापन को अनुमानित तिथि	2 सितम्बर, 2018
8.	अंतरिम समाधान व्यावसायिक का नाम पता, ई-मेल पता और पंजीकरण सं.	नामः बृज किशोर शर्मा अंतरिक समाधान व्यावसायिक पताः एबी-162, विवेकानंद मार्ग, निर्माण नगर, अजमेर रोड, जयपुर-302019 रजिस्ट्रेशन नम्बरः IBBI/IPA-002/IP-N00036/2016-17/10075 ई-मेलः bksharma162@yahoo.co.in
9.	दावे जमा करवाने की अंतिम तिथि	21 मार्च, 2018

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने 7 मार्च 2018 को अनिल स्पेशल स्टील इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के विरूद्ध संस्थागत दिवालियापन समाधान प्रक्रिया को आरंभ करने का आदेश दिया है। अनिल स्पेशल स्टील इंण्डस्ट्रीज लिमिटेड के देनदारों से एतद् द्वारा मद 8 के अधीन उपरोक्त दर्शाये पते पर अंतरिम समाधान व्यवसायिकी हेतु 21 मार्च 2018 को अथवा उससे पहले अपने दावे के प्रमाण को जमा करने की मांग की जाती है।

वित्तीय देनदार केवल इलेक्ट्रोनिक माध्यम द्वारा अपने दावे के प्रमाण जमा करवायेंगे। अन्य सभी देनदार व्यक्तिगत, डाक अथवा इलेक्ट्रोनिक माध्यम से दावों के प्रमाण जमा करवा सकते है। दावों के सबूत प्रस्तुत करने के लिए सबूतों को भारत के दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (कॉरपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवालिया होने की निवारण प्रक्रिया) नियम 2016 के अध्याय 6 के अनुसार बनाया जाना चाहिए। दावों का सबूत एक निर्दिष्ट हलफ पत्र (नोटरी या शपथ आयुक्त के समक्ष साक्षी) के साथ और उनके दावों के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण के साथ निम्नलिखित निर्दिष्ट रूपों के माध्यम से प्रस्तुत किये जाने चाहिए:-

फार्म बी- परिचालक देनदारों द्वारा दावों के लिए (कार्यकारी और कर्मचारियों को छोड़कर)

फार्म सी- वित्तीय लेनदारों द्वारा दावों के लिए

फार्म डी- किसी कार्यकर्ता और कर्मचारी द्वारा दावों के लिए

दावों के भ्रामक अथवा गलत प्रमाण को जमा करना दंडनीय है।

हस्ताक्षर

दिनांकः 9 मार्च, 2018
स्थानः जयपुर, राजस्थान

बृज किशोर शर्मा,
अंतरिक समाधान व्यावसायिक